

28⁰⁴
26

अपीलॉट के अधिकता अनुपाक्षित। रेस्पों. सं.
01 से 04, 6 व 7 के अधिकता उप.। अधिकता
रेस्पों. को अवेटमेंट डायर्जन पत्र पर सुना गया।
इसत अपील में अपीलार्थी कुंभाराम नी मृत्यु
दिनांक 18/12/2021 को हो चुकी है तथा अपीलार्थी
के विधिगत वारिसान नी सूचना एवं उनको पक्षकर बनाए
जाने हेतु द्वावेका 22 नियम 4 CPC के तहत निर्धारित

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

समयावधि में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। लिहाजा अपीलार्थी ने अपील अवेट ले-कुई
है। अतः अपीलार्थी ने अपील जरिये अवेट इसी
प्रकम में खारिज की जाती है।

अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)